उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0– 08 / 15–16

रथी मोहलीन .....अपीलकर्त्ता

बनाम्

सोनामुनी मोहलीन .....उत्तरकारी

आदेश

30.03.2016

यह रे0मि अपील सं0–08 / 15–16 रथी मोहलीन बनाम सोनामुनी मोहलीन एवं अन्य मौजा इसमाला अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–155 / 12–13 में पारित आदेष दिनांक 17.04.15 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान दासी मोहलीन की पौष्य पुत्री है। उत्तरकारी सोनामुनी मोहलीन अंतिम प्रधान की द्वितीय बहन है किन्तु सबूती कागजात दाखिल नहीं किया गया है। अतः प्रधान की नियुक्ति स0प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 5 के अन्तर्गत 16 / – रैयतों की आम सहमति के आधार पर होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि घरजमाई संताल समाज में लागू है, मोहली समाज में नहीं। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान का पुत्री है। अतः नियुक्ति सही है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के पूर्व प्रधान दासी मोहलीन थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 03.02.13 को हो चुकी है। अपीलकर्त्ता का दावा है कि उनको पूर्व प्रधान दासी मोहलीन द्वारा पौष्य पुत्र लिया गया है किन्तु उनके द्वारा कोई सबूती कागजात दाखिल नहीं किया गया है। उत्तरकारी द्वारा दाखिल लिखित वहस में उल्लेख वंषावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान दासी मोहलीन की द्वितीय बहन है। वंशावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दासी मोहलीन के पूर्व उनके पिता स्वरूप मोहली प्रधान थे। स्वरूप मोहली के चार पुत्री यथा दासी मोहलीन, चुमानी मोहलीन,

सोनामुनी मोहलीन एवं भादू मोहलीन थी। स्वरूप मोहली के मृत्यु के पश्चात उनकी जेष्ठ पुत्री दासी मोहलीन को प्रधान नियुक्त किया गया जिसकी मृत्यु नावल्द हो चुकी है। उसी प्रकार चुमानी मोहलीन की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। वर्त्तमान में पूर्व प्रधान स्वरूप मोहली के तृतीय पुत्री (उत्तरकारी) एवं अंतिम एवं चतुर्थ पुत्री भादू मोहलीन जीवित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पुत्री एवं अंतिम प्रधन के बहन है जो हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार उत्तरकारी के रूप में आती है। जहाँ तक उत्तरकारी के घरजमाई के शादी का प्रश्न है। इस संबंध में पूर्व प्रधान स्वरूप मोहली एवं उनकी पत्नी द्वारा ग्रामीणों के समक्ष बनाया गया घरजमाई घोषणा पत्र की छाया प्रति उत्तरकारी द्वारा दाखिल किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पुत्री एवं अंतिम प्रधान के बहन है जो हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार उत्तराधिकारी के रूप में आती है। अपीलकर्त्ता द्वारा पौष्य पुत्री के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।